

<><><><><><><><>

- देश के अन्य भागों के साथ द्वीपसमूह में भी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा।
- द्वीपसमूह में उजाला योजना के तहत अब तक तीन लाख अस्सी हजार से अधिक एल.ई.डी बल्बों का वितरण किया जा चुका है।
- द्वीपसमूह में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
- द्वीपों की बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किरण तिग्गा ने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है।
- सी.बी.एस.ई के स्कूलों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हर दिन अनिवार्य रूप से खेल कक्षा में भाग लेना होगा।

<><><><><><><><>

देश के अन्य भागों के साथ द्वीपसमूह में भी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में द्वीपों के सभी सत्तर ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं की बैठक होगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव उदित प्रकाश राय ने बताया कि इस बैठक में ग्राम स्वराज अभियान के तहत शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि प्रत्येक ग्रामवासी इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

श्री राय ने कहा कि कल की बैठक की वीडियोग्राफी की जाएगी और प्रशासन का एक अधिकारी भी इन बैठकों में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से अपील की कि वे कल की विशेष ग्राम सभा में अवश्य उपस्थित रहें।

इस बीच, दूरदर्शन केन्द्र पोर्ट ब्लेयर कल पंचायती राज दिवस पर सजीव कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इसमें दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त उदित प्रकाश राय, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष इन्द्रपाल सिंह और दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष बेबी फरीदा भाग लेंगी। कार्यक्रम कल शाम साढ़े पांच बजे आरंभ होगा।

<><><><><><><><>

ग्राम स्वराज अभियान के तहत अट्ठाईस अप्रैल को उजाला दिवस मनाया जाएगा। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता उत्तम कुमार पॉल ने बताया कि इस दिन विभाग के सभी साईट कार्यालयों में बचे हुए उपभोक्ताओं को एल.ई.डी बल्बों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक तीन लाख अस्सी हजार से अधिक एल.ई.डी बल्बों का वितरण किया जा चुका है।

<><><><><><><><>

अनारकली बस्ती में बीस अप्रैल को हुई अग्नि दुर्घटना में एक मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया और पड़ोस के एक पक्का मकान में आंशिक क्षति हुई। प्रभावितों को दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की ओर से एक लाख बीस हजार से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। अग्नि प्रभावित आवास में रहने वाले चार परिवारों को राहत सामग्रियां भी दी जाएगी।

<><><><><><><><>

द्वीपसमूह में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में बैंकों से जुड़े पेंसठ मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा लम्बित अपराधिक मामले भी निपटाए गए। पोर्ट ब्लेयर के प्रयास केन्द्र और जिला न्यायालय भवन के अलावा मायाबन्दर और डिगलीपुर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

<><><><><><><><>

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बारह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड सहित कठोर प्रावधान वाले अध्यादेश को लागू कर दिया है। अपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश दो हजार अट्ठारह के अनुसार सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम सजा की अवधि दस वर्ष से बढ़ाकर बीस वर्ष कर दी गई है। इसे और बढ़ाकर आजीवन कारावास में तब्दील किया जा सकता है।

इस बीच, द्वीपसमूह की बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किरण तिग्गा ने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे अपराधियों में डर पैदा होगी और देश की बेटियां सुरक्षित रहेगी।

